"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 22, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 31 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), विधेयक, 2001

अनुक्रमणिका

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. विश्वविद्यालय का उद्देश्य.
4. विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव.
5. विश्वविद्यालय की स्थापना.
7. सामान्य निधि.
8. सामान्य निधि का उपयोग.
9. स्ववित्तीय विश्वविद्यालय.
10. राज्य शासन द्वारा भूमि की उपलब्धता.
11. विश्वविद्यालय का सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होना.
12. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
13. विजिटर.

14. कुलाधिपति.
15. कुलपति.
16. कुलसचिव.
17. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी.
18. अन्य अधिकारी.
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
20. शासी निकाय.
21. प्रबंध मंडल.
22. अकादमिक परिषद्.
23. अन्य प्राधिकारी.
24. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय के निरीक्षण की शक्ति.
25. प्रथम संविधि.
26. अनुगामी संविधि.
27. अध्यादेश.
28. अनुगामी अध्यादेश.
29. वार्षिक प्रतिवेदन.
30. वार्षिक लेखा.
31. रिक्तियां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं.
32. विश्वविद्यालय अभिलेख साक्ष्य का उपकरण.
33. प्रायोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन.
34. किन्हीं परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां.
35. राज्य शासन की शक्तियां.
36. नियम बनाने की शक्ति.
37. विनियम.
38. नियम, संविधि और अध्यादेश को पटल पर प्रस्तुत करना.
39. कठिनाइयों का निराकरण.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 31 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), विधेयक, 2001

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय निजी क्षेत्र विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तद्संबंधी एवं तद्जनित विषयों के प्रावधान हेतु विधेयक.

भारत के गणतन्त्र के 52वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2001 कहा जावेगा. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार समस्त छत्तीसगढ़ राज्य होगा.

(3) यह ऐसी तिथि से प्रभावशील होगा जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं.

(क) ''अध्यादेश'' से अभिप्रेत है-विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित अध्यादेश,

(ख) विश्वविद्यालय के संदर्भ में ''प्रायोजक निकाय'' से अभिप्रेत है-

(1) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अंतर्गत पंजीबद्ध सोसायटी,

(2) कोई सार्वजनिक न्यास, अथवा

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 (सन् 1956 का क्रमांक 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी,

(ग) ''संविधि'' से अभिप्रेत है-विश्वविद्यालय की संविधि,

(घ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है-धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय.

3. विश्वविद्यालय के उद्देश्य होंगे :— विश्वविद्यालय का उद्देश्य.

1. उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरन का प्रावधान करना;

2. बौद्धिक गुणों के उच्चतर स्तर का सृजन करना;

3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं की स्थिति स्थापित करना;

4. अध्यापन तथा शोध को क्रियान्वयन करना तथा सतत शिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना;

5. शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना;

6. उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श-सेवा उपलब्ध कराना;

7. मुख्य परिसर छत्तीसगढ़ में तथा भारत एवं अन्य देशों के विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थापित करना;

8. परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना;

9. परीक्षाओं या अन्य प्रकार से मूल्यांकन की प्रक्रियाओं के आधार पर उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्रों और अन्य अकादमिक विशिष्टता संस्थापित करना;

10. किसी ऐसे अन्य उद्देश्य, जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित कर दिया जावे, की प्राप्ति के लिए कार्य करना;

11. यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र तथा अन्य अकादमिक विशिष्टता का स्तर ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./यू.जी.सी./एम.सी.आई./फार्मेसी काउन्सिल इत्यादि द्वारा निर्धारित मानक से निम्नतर न हो.

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव.

4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित किसी एक या सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन, परियोजना प्रतिवेदन के साथ राज्य शासन को ऐसे शुल्क सहित प्रस्तुत किया जावेगा, जैसा कि निर्धारित किया जावे.

(2) परियोजना प्रतिवेदन में अधोलिखित विवरण होंगे, यथा :—

(क) प्रायोजक निकाय के विस्तृत विवरण सहित विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ख) विश्वविद्यालय का विस्तार एवं प्रास्थिति तथा भूमि की उपलब्धता;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम आगामी 5 वर्ष की अवधि हेतु अध्ययन एवं शोध के लिये अपनाये जाने वाले कार्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार का विवरण;

(घ) प्रारंभ किये जाने वाले प्रस्तावित संकायों, पाठ्यक्रमों तथा शोध की प्रकृति;

(च) परिसर विकास, यथा-भवन, उपकरण तथा अन्य संरचनात्मक सुविधायें;

(छ) न्यूनतम आगामी पांच वर्ष के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध विवरण;

(ज) मदवार आवर्ती व्यय, वित्तीय स्रोत तथा प्रति छात्र अनुमानित व्यय;

(झ) संसाधनों को गतिमान करने एवं इस हेतु पूंजी की लागत एवं प्रायोजक निकाय को उसके भुगतान की प्रक्रिया अथवा अन्य ऐसी स्रोतों की योजना;

(त) आन्तरिक स्रोतों, जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली, परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना;

(थ) प्रति इकाई लगात पर व्यय का विस्तृत विवरण एवं राज्य शासन के भूमि अनुदान-यदि कोई हो, के एवज में कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट तथा शुल्क-मुक्ति एवं छात्रवृत्ति की सीमा, इस शर्त के साथ कि छूट एवं शुल्क-मुक्ति या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र संख्या के 22-1/2% से कम नहीं होगी. शुल्क संरचना में अनिवासी भारतीयों एवं अन्य विदेशी छात्रों पर लगाये जाने वाले शुल्क की दरों में भिन्नता का औचित्य भी दर्शायेगी;

(द) प्रायोजक निकाय के अधीन संबंधित विषय-क्षेत्रों में अनुभव एवं विशेषता के वर्ष, वित्तीय स्रोत सहित दर्शायेगी;

(ध) विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्रों की चयन-प्रक्रिया;

(न) ऐसे अन्य विवरण जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित किये जावें;

(3) राज्य शासन द्वारा परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर ऐसी जांच कराएगा, जैसा वह आवश्यक समझे;

(4) यदि राज्य शासन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव से संतुष्ट हो तो वह ऐसी निर्दिष्ट शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रायोजक निकाय को तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करेगा.

5. (1) राज्य शासन, निम्न को ध्यान में रखते हुये, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना ऐसे नाम एवं ऐसे क्षेत्राधिकार तथा परिसर के स्थल का निर्धारण करेगा, जैसा कि उसमें उल्लिखित हों; विश्वविद्यालय की स्थापना.

(क) विश्वविद्यालय की स्थापना की वांछनीयता;

(ख) पाठ्यक्रमों के संचालन एवं उपाधि, पत्रोपाधि अथवा सम्मान की मान्यता या अधिकारिता, तत्समय प्रवृत्ति प्रभावशील किसी भी अन्य विधि के अंतर्गत आवश्यक हो;

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी.

6. (1) धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा जिसका नाम उक्त धारा में उल्लिखित होगा तथा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह (कॉमनसील) होगा जिसके द्वारा अथवा जिस पर उपरोक्त नाम से वाद लाये जा सकेंगे. विश्वविद्यालय का निगमन.

(2) धारा 5 की उपधारा (1) के अंतगत स्थापित विश्वविद्यालय राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से किसी महाविद्यालय या संस्थान को सम्बद्ध कर सकेगा अथवा एक से अधिक परिसर की स्थापना कर सकेगा.

सामान्य निधि.

7. प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निधि की स्थापना करेगा जिसे सामान्य निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी, यथा :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क एवं अन्य प्रभार,

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदत्त कोई अंशदान,

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों के अनुपालन में सम्पादित किये जाने वाले परामर्श एवं अन्य कार्यों से प्राप्त होने वाली कोई आय,

(घ) न्यास, वसीयत, दान, धर्मस्व (अग्रहार) एवं कोई अन्य अनुदान,

(ङ) विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियां.

सामान्य निधि का उपयोग.

8. सामान्य निधि निम्नलिखित प्रयोजन अथवा प्रयोजनों हेतु तथा निम्नांकित क्रम से उपयोग की जा सकेगी, यथा :-

(क) इस अधिनियम एवं संविधि तथा इनके अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों एवं विनियमों के प्रयोजन हेतु लिये गये ऋणों एवं उनसे उदभूत् ब्याज का पुनर्भुगतान;

(ख) विश्वविद्यालय परिसंपत्ति (एसेट्स) का रख-रखाव;

(ग) धारा 7 के अंतर्गत निर्मित निधियों के लेखा परीक्षण व्यय का भुगतान;

(घ) ऐसे वाद अथवा वैधानिक कार्यवाही से संबंधित व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय पक्ष हो;

(ङ) विश्वविद्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध में संलग्न स्टाफ के वेतन एवं भत्ते तथा इन अधिकारियों, कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध में संलग्न स्टाफ के भविष्य निधि, अंशदान, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों का भुगतान;

(च) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, अकादमिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय की संविधि द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों एवं इस अधिनियम अथवा विश्वविद्यालय के संविधियों अथवा अधिनियमों अथवा विनियमों के किसी भी प्रावधान के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय किसी भी प्राधिकारी द्वारा गठित समिति अथवा मण्डल के सदस्यों की यात्रा-व्यय एवं अन्य भत्तों का भुगतान;

(छ) समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों या रिसर्च एसोसिएट्स या प्रशिक्षुओं, जैसा भी प्रकरण हो, को फेलोशिप, शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति, असिस्टेन्टशिप एवं अन्य स्वीकृतियों का भुगतान, अथवा ऐसा ही अन्य किसी छात्र को भुगतान जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमों के अधीन इस प्रकार की स्वीकृतियों की पात्रता रखता है;

(ज) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अधिनियमों अथवा विनियमों, के क्रियान्वयन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले व्यय का भुगतान;

(झ) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूंजीगत व्यय का भुगतान जो ब्याज की प्रचलित बैंक दर से अधिक न हो;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अधिनियमों तथा विनियमों के अंतर्गत परामर्श संबंधी किये जाने वाले कार्यों से संबंधित व्यय एवं प्रभार का भुगतान;

(थ) प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों के लिए अनुमोदित होने पर प्रायोजक निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व वहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था शुल्क सहित व्यय का भुगतान;

परन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के पूर्वानुमोदन के विना जैसा भी निश्चित किया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जायेगा जो प्रबन्ध मण्डल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो.

परन्तु, यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि कंडिका (क) में उद्देश्यों के लिए उल्लिखित है, विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा.

9. निम्नलिखित उद्देश्यों को छोड़कर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय शासन, राज्य शासन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से कोई अनुदान अथवा अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रहेगा :— स्ववित्तीय विश्वविद्यालय.

(1) सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा अथवा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों द्वारा देय शुल्क की पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु;

(2) शोध के उद्देश्य से किसी अध्ययन हेतु, जिसमें शोध प्रोत्साहन के लिए किसी संकाय की स्थापना का उद्देश्य भी सम्मिलित है.

10. राज्य शासन, विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ऐसी शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन भूमि उपलब्धता करा सकेगा, जैसा कि वह निर्धारित करे. राज्य शासन द्वारा भूमि की उपलब्धता.

11. (i) विश्वविद्यालय किसी भी लिंग एवं किसी भी जाति, पंथ, धर्म, मूल, वंश, वर्ग, अधिवास स्थान के सभी लोगों के लिए खुला होगा और विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उनमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने अथवा स्नातक होने हेतु किसी प्राधिकार की पात्रता हेतु धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी किसी भी परीक्षण का आयोजन अथवा आरोपण विधि-सम्मत नहीं होगा; विश्वविद्यालय का सभी वर्ग, जाति एवं पंथ के लिए खुला होना.

(ii) उपरोक्त धारा 1 में उल्लिखित किसी तथ्य की उपेक्षा किये बिना विश्वविद्यालय, महिलाओं, विकलांगों अथवा समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों एवं विशेष कर अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के रोजगार एवं शैक्षणिक हितों के संरक्षण हेतु, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप विशेष प्रावधान करेगा.

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :— विश्वविद्यालय के अधिकारी.

1. विजिटर;
2. कुलाधिपति;
3. कुलपति;
4. कुलसचिव;
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी;
6. अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे.

13. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे; विजिटर.

(2) विजिटर, जब वे उपस्थित होंगे, विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे;

(3) विजिटर की निम्न शक्तियां होंगी, यथा :—

(अ) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अथवा सूचना मंगा सकेगा.

(ब) विजिटर को भेजी गयी जानकारी के आधार पर यदि वह सन्तुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, विनियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो वह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित करेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे तथा इस प्रकार जारी किये गये निर्देश सभी संबंधितों द्वारा पालन किये जायेंगे.

कुलाधिपति. 14. (1) प्रयोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति विजिटर के पूर्वानुमोदन से तीन वर्षों के लिए, ऐसी प्रक्रिया एवं ऐसी शर्तों एवं उपबंधों के अधीन की जावेगी जैसी की संविधि द्वारा निहित की जावे;

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा;

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा विजिटर की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, यथा :—

(अ) किसी भी सूचना अथवा अभिलेख को मंगा सकना;

(ब) कुलपति की नियुक्ति;

(स) कुलपति को हटाना;

(द) अन्य ऐसे अधिकार जो संविधि द्वारा निर्धारित किये जावें.

कुलपति. 15. (1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा अनुशंसित तीन व्यक्तियों की नाम -सूची (पेनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी, तथा धारा 34 (7) के प्रावधानों के अंतर्गत चार वर्ष तक पद धारण करेगा.

परन्तु, यह भी कि चार वर्ष की पदावधि समाप्त होने के पश्चात् कुलपति को चार वर्ष से अधिक की नहीं पुनर्नियुक्ति की एक और अवधि की पात्रता होगी.

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के निर्णय का क्रियान्वयन करावेगा;

(3) कुलपति, विजिटर तथा कुलाधिपति दोनों की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा;

(4) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसकी शक्तियां किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अवकाश के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझता हो तथा यथाशीघ्र की गई कार्यवाही से ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत कराएगा, जो कि सामान्यत: उस मामले में कार्यवाही करता है;

परन्तु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभिमत में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार का प्रकरण निर्णय हेतु कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा,

परन्तु, यह भी कि कुलपति के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है तो उस व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही की सूचना की प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर व्यवस्थापक मंडल के समक्ष अपील करने हेतु अधिकृत होगा तथा प्रबंध मंडल कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्टि अथवा संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा;

(5) यदि कुलपति की राय में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, संविधियों अथवा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर है अथवा विश्वविद्यालयों के हितों के प्रतिकूल हो सकता है, तो वह इस निर्णय की तिथि से सात दिनों के भीतर उक्त निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस परिस्थिति में जबकि प्राधिकारी उक्त निर्णय को पूर्णत: अथवा अंशत: संशोधित करने से इन्कार करता है, अथवा सात दिनों के भीतर निर्णय ले सकने में असमर्थ रहता है, तब ऐसा प्रकरण कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा एवं उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा;

(6) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कर्त्तव्य का निर्वाह किया जावेगा जैसा कि जो संविधियों अथवा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट हों;

(7) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा की स्थिति में तथा ऐसी आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल के पश्चात् कुलाधिपति, कारणों का उल्लेख करते हुए एवं लिखित आदेश देकर कुलपति को ऐसी तिथि से पद छोड़ने के लिए आदेशित करेगा, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो.

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रकार से की जावेगी जैसा कि प्रथम संविधि द्वारा निर्धारित की जावे, कुलसचिव.

(2) कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेख अधिकारिक किये जावेंगे,

(3) कुलसचिव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वाह किया जावेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जायेंगे.

17. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की जावेगी जैसा कि संविधियों द्वारा निर्देशित किया जावेगा; मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी.

(2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जायेंगे.

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उस प्रकार से की जावेगी जैसा कि संविधियां द्वारा निर्धारित की जावे. अन्य अधिकारी.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

19. विश्वविद्यालय में निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथा—

(1) शासी निकाय;

(2) प्रबंध मंडल;

(3) अकादमिक कौंसिल, तथा

(4) अन्य ऐसे प्राधिकारी जिन्हें संविधियों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे.

शासी निकाय.

20. (1) विश्वविद्यालय की शासी निकाय का गठन निम्नानुसार होगा, यथा—

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक समिति द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति;

(घ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि;

(च) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्; तथा

(छ) विजिटर द्वारा नामांकित एक अकादमिशियन (शैक्षिक विधि),

(2) कुलाधिपति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा;

(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा तथा उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा :—

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना यदि वे इस अधिनियम, नियमों, संविधियों अथवा अध्यादेशों से सुसंगत न हों;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत नीतियों का निर्धारण करना;

(घ) विश्वविद्यालय के स्वेच्छ्या समापन संबंधी निर्णय लेना;

(4) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम दो बार होगी.

प्रबंध मण्डल.

21. (1) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा—

(क) कुलपति;

(ख) राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि; तथा

(घ) विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्य;

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा;

(3) प्रबंध मंडल की शक्तियां एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जावेंगे.

22. (1) अकादमिक परिषद् में कुलपति तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जावेगी; अकादमिक परिषद्.

(2) कुलपति अकादमिक परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(3) अकादमिक परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, संविधियों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण बनाये रखेगी.

23. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे. अन्य प्राधिकारी.

24. (1) शिक्षण, परीक्षा, शोध अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी विषय में प्रामाणिक स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन, कुलपति से परामर्श के बाद ऐसी पद्धति से तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आंकलन करा सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे. राज्य सरकार की विश्वविद्यालय के निरीक्षण की शक्ति.

(2) राज्य शासन, ऐसे आंकलन के परिणाम के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु अपनी अनुशंसाएं संसूचित करेगा.

(3) यदि राज्य शासन की राय में उपधारा (2) के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय अथवा प्रस्तावित निर्णय से उसकी संतुष्टि नहीं है, तो उसे आगे की कार्यवाही हेतु कुलपति को पुन: संसूचित करेगा, जो औचित्यपूर्ण समय में अनुशंसा को क्रियान्वित करेगा, अन्यथा राज्य शासन जैसा उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा.

25. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय प्रथम संविधि द्वारा निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकेगा, यथा :— प्रथम संविधि.

(क) समय-समय पर गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें तथा उसकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(ग) कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(घ) अन्य अधिकारियों एवं संकाय के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें, तथा उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें;

(छ) अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया;

(झ) मानद उपाधियां प्रदान करना;

(त) शिक्षा शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान;

(थ) प्रवेश संबंधी नीति, जिसमें छात्र-संख्या के आरक्षण का नियमन भी समाहित हो;

(द) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का प्रावधान;

(ध) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्र संख्या का प्रावधान;

परन्तु, यह कि विश्वविद्यालय, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन बिना, छात्रों से दान अथवा कैपिटेशन शुल्क लेने संबंधी कोई संविधि नहीं बनायेगा.

(2) विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियां, शासी निकाय द्वारा बनायी जायेंगी एवं राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी.

(3) राज्य शासन, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम संविधियों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा.

(4) विश्वविद्यालय, प्रथम संविधियों पर, जैसा कि वे राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गई हैं, अपनी सहमति संसूचित करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय, राज्य शासन द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सहमत न हो, तो वह उसका कारण बता सकेगा. विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को राज्य शासन स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है.

(5) राज्य शासन, प्रथम संविधियों को, जैसा कि वे उसके द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती हैं, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसी संविधियां प्रभावशील होंगी.

अनुगामी संविधि.

26. इस अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के संविधि में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान कर सकेगी :—

(क) विश्वविद्यालय के अंतर्गत नये प्राधिकारी का सृजन;

(ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया;

(ग) प्राधिकारियों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु चुनाव, शिक्षकों का निर्वाचन;

(घ) नये विभागों का निर्माण तथा विद्यमान विभागों का विलयन या पुनर्गठन;

(च) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, शुल्क से मुक्ति, पदक एवं पुरस्कार;

(छ) पदों का सृजन एवं विलयन;

(ज) शुल्क का पुनर्निर्धारण;

(झ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित छात्र-संख्या में परिवर्तन;

(त) अन्य ऐसे विषय जो नियमों द्वारा निर्धारित नहीं है, तथा जिन्हें संविधि द्वारा निर्धारित किया जाना है;

(2) प्रथम संविधियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की अन्य संविधियां, प्रबंध मंडल द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन से बनायी जायेंगी;

(3) उपधारा 2 के अंतर्गत निर्मित संविधियां राज्य शासन को भेजी जाएंगी तथा राज्य शासन यदि आवश्यक समझे तो उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा;

(4) शासी निकाय, राज्य शासन द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं संविधियों को अपनी टिप्पणी सहित राज्य शासन को वापस भेजेगा;

(5) राज्य शासन, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं संविधियां, जैसा कि वे राज्य शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील हो जाएंगी.

27. (1) इस अधिनियम, नियमों तथा संविधियों, के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय का प्रावधान कर सकते हैं :— अध्यादेश.

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, पत्रोपाधियों, व प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों का निर्धारण;

(ग) विश्वविद्यालय की उपाधियों, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाये जाने वाली प्रणाली;

(ङ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें;

(च) परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी सेवावधि व शर्तों सहित परीक्षाओं का संचालन;

(छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं पत्रोपाधियों के शुल्क का निर्धारण;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें;

(झ) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रावधान;

(त) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार हेतु आवश्यक होने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं कर्त्तव्य;

(थ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली;

(द) इस अध्यादेश, नियम और सांविधियों के अनुसार अन्य ऐसे समस्त विषय जिनका अधिनियमों द्वारा प्रावधान किया जाना आवश्यक है.

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाये जाएंगे जो कि राज्य शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाएंगे.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर राज्य शासन उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा.

(4) कुलपति, राज्य शासन द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं "प्रथम अध्यादेश" को राज्य शासन को वापस करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर राज्य शासन या तो उन्हें अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि वे अनुमोदित होंगे, राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जाएंगे.

अनुगामी अध्यादेश.

28. (1) प्रथम अध्यादेश के अतिरिक्त शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्मित किये जावेंगे.

(2) राज्य शासन उपधारा (1) के अंतर्गत निर्मित सभी अध्यादेश का प्रकाशन राजपत्र में करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे,

वार्षिक प्रतिवेदन.

29. (1) प्रबंध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदमों का समावेश होगा तथा जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति विजिटर को भी भेजी जायेगी;

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत की जायेगी;

वार्षिक लेखा.

30. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा बैलेन्सशीट प्रबंध मंडल के निर्देशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा;

(2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन शासी निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा;

(3) वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा शासी निकाय की टीप सहित एक प्रति विटिजर को एक प्रति राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा;

(4) लेखा एवं ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न विषय पर राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बन्धनकारी होंगे.

रिक्तियां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं.

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्ति होने के कारण अथवा गठन की त्रुटि होने के कारण अवैध नहीं होगी.

32. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 अथवा किसी अन्य प्रभावशील विधि के हुए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही किसी प्राधिकारी या समिति के प्रस्ताव अथवा अन्य दस्तावेज अथवा किसी पंजी की प्रविष्टि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये जाने पर प्रथम दृष्टया ऐसी रसीद, नोटिस, आवेदन, प्रोसेडिंग प्रस्ताव अथवा दस्तावेज पंजी में प्रविष्टि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जावेगी तथा इस प्रकार के विषय तथा व्यवहार के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होगी जैसा कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की दशा में होगा. विश्वविद्यालय अभिलेख साक्ष्य का उपकरण.

33. (1) यदि प्रायोजक निकाय, उसके गठन अथवा स्थापना संबंधी विधि के प्रावधान के अनुरूप विघटित होना चाहे तो उसके द्वारा न्यूनतम 6 माह की पूर्व सूचना राज्य शासन को देनी होगी. प्रायोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबन्धन.

(2) राज्य शासन इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर प्रायोजक निकाय के विघटन की तिथि से विश्वविद्यालय के छात्रों के नियमित पाठ्यक्रम के अंतिम बैच के पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था करेगा जैसा कि निर्धारित किया जावे, अथवा विश्वविद्यालय को संचालित रखने के लिए प्रायोजक निकाय के स्थान पर किसी प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रायोजक निकाय की प्रदत्त शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कार्य करने का अधिकार प्राप्त हों.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् कुलाधिपति, सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, जैसा भी प्रकरण हो, कुलपति को पदच्युत कर सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति को कुलपति नियुक्त कर सकेंगे, जैसा कि वे उचित समझे.

34. (1) यदि राज्य शासन को यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अंतर्गत जारी ऐसे किसी निर्देश का उल्लंघन किया गया है अथवा विश्वविद्यालय में वित्तीय तथा प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह विश्वविद्यालय को 45 दिन की अवधि में यह कारण बताने हेतु सूचना जारी करेगा कि :— किन्हीं परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां.

(अ) क्यों न इसके समापन का आदेश दिया जाय;

(ब) क्यों न प्रबंध मण्डल को समाप्त कर दिया जाय तथा उपधारा (7) के अंतर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाय.

(2) यदि राज्य शासन, विचार करता है कि उचित जांच हेतु प्रबंध मंडल को निलम्बित किया जाना आवश्यक है, तो उसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन कर प्रबंध मंडल को निलंबित किया जा सकेगा तथा प्रायोजक निकाय की राय से विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु जांच के पूर्ण होने तक की अवधि के लिये ऐसी व्यवस्था की जावेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे;

(3) राज्य शासन, उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई सूचना के उत्तर की प्राप्ति पर यह संतुष्टि होने पर कि प्रथम दृष्टया वित्तीय तथा प्रशासनिक अव्यवस्था अथवा इस अधिनियम के प्रावधान के प्रतिवेदन अथवा अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसी जांच का आदेश दिया जा सकेगा, जैसा कि आवश्यक समझे;

(4) राज्य शासन, उपधारा (3) के अंतर्गत किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को किसी प्रकार के आरोपों की जांच तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त कर सकेगा;

(5) उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी को वह सभी शक्तियां प्रदत्त होगी जैसा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (सन् 1908 का क्रमांक 40) के अंतर्गत निम्न मामलों के संबंध में किसी वाद के निराकरण हेतु आवश्यक हों यथा—

(अ) गवाहों को समन्स जारी करने तथा उनकी उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा किसी व्यक्ति को शपथ द्वारा परीक्षण करना,

(ब) किसी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री जो साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हो, का अन्वेषण प्रस्तुत किया जाना,

(स) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख मंगवाया जाना,

(द) कोई अन्य बिन्दु जो निर्धारित किया जावे,

(6) इस अधिनियम के अंतर्गत जांच कर रहे प्रत्येक जांच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का क्रमांक 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन हेतु व्यवहार न्यायालय माना जावेगा;

(7) यदि राज्य शासन जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संतुष्ट है कि वित्तीय अव्यवस्था एवं कुप्रशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्थिरता असुरक्षित है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश दे सकेगा अथवा विश्वविद्यालय की गतिविधि को चलाये रखने हेतु एक प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा जिसे शासी निकाय के सभी अधिकार प्राप्त हों;

(8) धारा 7 के अंतर्गत समापन की अधिसूचना जारी करते समय, राज्य शासन वर्तमान पाठ्यक्रम की समाप्ति के अन्त तक कार्य नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन के संचालन हेतु व्यवस्था करेगा;

(9) उपधारा (8) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यवस्था की अवधि में राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जावेगा तथा अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो स्वयं के हेतु जब्त किया जायेगा;

(10) उपधारा (7) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना विधान सभा के पटल के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी.

राज्य शासन की शक्तियां. 35. राज्य शासन की निम्नलिखित शक्तियां होगी, यथा—

(क) इस अधिनियम, नियम, संविधि तथा इसके अंतर्गत निर्मित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कार्य करना अथवा किसी उल्लंघन के संशोधन हेतु निर्देश जारी करना;

(ख) विश्वविद्यालय एवं अन्य किसी विशेषज्ञ निकाय के बीच इस अधिनियम के अंतर्गत विवाद का निर्णय करना एवं इस प्रकार के विवादों के संबंध में लिये गये निर्णय के पालन हेतु निर्देश जारी करना;

(ग) धारा 34 के अंतर्गत प्रबंध मण्डल के विघटन का आदेश जारी करना अथवा प्रशासक नियुक्त करना;

(घ) धारा 35 के अंतर्गत आदेश जारी करना;

(ङ) इस अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट विषयों पर संविधि निर्माण हेतु आदेशित करना.

36. (1) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी, नियम बनाने की शक्ति.

(2) इस प्रकार के नियम बिना पूर्वाग्रह के पूर्ववर्ती अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक विषय पर होंगे, यथा—

(क) विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत देय शुल्क,

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन में निहित अन्य विवरण,

(ग) धारा 25 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऐसे विषय जिनका प्रावधान संविधि द्वारा किया जाना है,

(घ) धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रायोजक निकाय का विघटन होने पर विश्वविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था किया जाना.

(ङ) धारा 34 की उपधारा (5) की कंडिका (द) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित विषय.

37. (1) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रावधान, संविधि एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विनियम का निर्माण कर सकेंगे, विनियम.

(2) प्रबंध मंडल द्वारा इस धारा के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगी.

परन्तु इस प्रकार के संशोधन अथवा निरस्तीकरण से असंतुष्ट कोई भी प्राधिकारी शासी निकाय के समक्ष अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय इस विषय में अंतिम होगा.

38. इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रत्येक नियम, संविधि अथवा अध्यादेश के निर्माण के बाद यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जावेगा. नियम, संविधि, अध्यादेश का पटल में प्रस्तुत करना.

39. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य शासन राजपत्र में आदेश प्रकाशित करते हुए अधिनियम के प्रावधान के अनुकूल ऐसे आदेश कर सकेगी जैसा कि उसे कठिनाई के निवारण हेतु आवश्यक अथवा उचित प्रतीत हो, कठिनाइयों का निराकरण.

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जावेगा.

उद्देश्य और कारणों का कथन

उच्च शिक्षा एवं अग्रवर्ती ज्ञान के क्षेत्र में राज्य में सुविधायें सीमित है. उच्च शिक्षा में पर्याप्त शैक्षणिक अधोसंरचना की स्थापना में लोक वित्तीय बाधाएं, मार्ग में आती है. राज्य की नीति, उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित कर संस्थाओं को स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त ऐसे निजी निवेशकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर आकर्षित कर सकेगी, जिसमें राज्य की ओर से कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होगी.

2. इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विशिष्ट अथवा प्राधिकृत विधान की आवश्यकता है. शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करने तथा व्यापारीकरण रोकने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एकीकृत मार्गदर्शिका की आवश्यकता होगी. समयोचित यह आवश्यकता महसूस की गई है कि स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन करने तथा तद्संबंधी अनुषांगिक विषयों के नियमन के लिये एक प्राधिकृत विधान लाया जाना चाहिए.

3. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

दिनांक . . . . . .दिसम्बर 2001

सत्यनारायण शर्मा

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रत्यायोजित विधान निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना तथा विनियमन) विधेयक, 2000 के खण्ड 36 एवं 37 के अधीन राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियाशील करने के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति दी गई है.

भगवानदेव ईसरानी

सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.